

11/10/17  
11/10/17  
11/10/17  
11/10/17

PBR/निगरानी/धार/भूसू/2017/3834

12

//श्री//

निगरानी प्रकरण क्रमांक ...../2017

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल,  
म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.) के न्यायालय में।

1. प्रेमबाई विधवा सोहनसिंह, जाति - राजपुत,  
निवासी:- ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)  
हाल मुकाम :- सुखदेव नगर, फुटीकोठी, इन्दौर (म.प्र)
2. बलराम पिता सोहनसिंह, (नाबालिग)
3. कुमारी प्रियंका पिता सोहनसिंह, (नाबालिग)  
क्रमांक 02 व 03 अज्ञान तर्फे पालनकर्ता माता प्रेमबाई  
विधवा सोहनसिंह,  
निवासी:- ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)  
हाल मुकाम :- सुखदेव नगर, फुटीकोठी, इन्दौर, (म.प्र)

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. भागवंताबाई विधवा नंदराम, जाति -- राजपुत  
निवासी:- ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)
2. जीवन पिता नंदराम, जाति - राजपुत  
निवासी:- ग्राम मुंडाना, तहसील व जिला धार, (म.प्र)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व  
संहिता 1959

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) धार, जिला धार, म.प्र. के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 171/अपील/2015-16 में दिनांक 08/09/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :-



यह कि, ग्राम मुंडाना तहसील व जिला धार में



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/17/3834

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	<p>आवेदक पक्ष अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> ATR</p>	<p> अध्यक्ष</p>